



2026:AHC: 52498-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 2101/2026

श्रीमती गुड़िया एवं अन्ययाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिपक्षीगण

याची के अधिवक्ता : भीम सेन पांडेय, कार्तिकेय पांडेय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचियों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 09.08.2025 की प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिससे केस अपराध संख्या 0145 वर्ष 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 142 और पाँक्सो अधिनियम की धारा 16/17, थाना इटवा, जिला सिद्धार्थ नगर उत्पन्न हुआ है।
3. याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याची मुख्य अभियुक्त अमित के भाई और भाभी हैं और उन्हें पूरी तरह से झूठे और तुच्छ आरोपों पर इस मामले में घसीटा गया है।
4. याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री से, प्रथम दृष्टया याचियों के विरुद्ध विज्ञापित कोई अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, विवादित प्राथमिकी निरस्त किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान को रिकॉर्ड पर रखा है। उक्त बयान के अवलोकन से, प्रथम दृष्टया याचियों के विरुद्ध भी अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी** [(2017) 2 SCC 779], **नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य** [(2021) SCC Online SC 315] और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय **प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य** (फौजदारी अपील संख्या 843 वर्ष 2024) में प्रतिपादित कानून के आलोक में विवादित प्राथमिकी को निरस्त नहीं किया जा सकता है।
6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई परस्पर दलीलों पर विचार करने के बाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों तथा बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को देखते हुए कि विवादित प्राथमिकी याचियों के विरुद्ध संज्ञेय अपराध प्रकट करती है, हमारा यह मत है कि प्रथम दृष्टया याचियों के विरुद्ध विज्ञापित अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इसलिए, विवादित प्राथमिकी को निरस्त नहीं किया जा सकता है और विवादित प्राथमिकी को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
7. हालांकि, यदि याची उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से विचार किया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा।
8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह तत्काल रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

16 मार्च, 2026 नदीम

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।